

अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी दुण्डी।

वाद संख्या-...359/2016-17

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
21.8.20 14/12/20	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। रैयत उपस्थित है, उनके द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हुकुमनामा रजिस्टर डीड X</li> <li>2. लगान रसिद X</li> <li>3. शुद्धि पत्र X</li> <li>4. खतियान X</li> <li>5. गिरा-मुक्ति एवं रसिद के प्रमाण पत्र की कोपी।</li> </ol> <p>रैयत द्वारा उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया जिससे निम्न निष्कर्ष निकलता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रसिद गैरवाक्य प्रालिप्त है।</li> <li>2. रसिद की लगान रसीद प्रमाण पत्र-विना गरीब है।</li> <li>3.</li> </ol> <p>अतः उपयुक्त जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p align="center">अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।</p> <p align="right">14/12/20 अंचल अधिकारी पूर्वी दुण्डी।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	